तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/01/26	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस तलब किया गया था। एक माह से अधिक अवधि बीत जाने के उपरान्त विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 PM लगाई गई, बावजूद विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अलग से लिखा [illegible] किया गया, तहसीलदार गिड़ा [illegible] रिपोर्ट मय नक्शा का अभिन्न अंग रहेगी। पत्रावली मिसल शुमार होकर बाद नकल से काम हो, दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.26 21:23:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला—बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या—107/2025

अनवान आसूराम वगैरा बनाम करनाराम वगैरा

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. जाट समाज छात्रावास संस्थान कानोड़ 247 जरिये अध्यक्ष उदाराम पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी ग्राम खरथाणियों का तला ग्राम पंचायत कानोड़ पटवार हल्का कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।		1. दुर्गाराम पुत्र चुतराराम 2. खेताराम पुत्र हिमथाराम 3. उदाराम पुत्र जवाराराम जाति जाट निवासी ग्राम कानोड़ ग्राम पंत्रायत कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा। 4. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, गिड़ा जिला बालोतरा। 5. तहसीलदार बायतु, जिला बालोतरा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश — **दिनांक :—20.01.2026**

उपस्थिति :— 1. अधिवक्ता श्री घमण्डाराम सारण प्रार्थी की ओर से

प्रार्थी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कय सुदा खातेदारी की भूमि मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कानोड़ तहसील गिडा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 819/782 रकबा 0.5666 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थी के सेढासेढ विप्रार्थी [illegible] के खेत खसरा नम्बर 833/482 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा [illegible]/4[illegible] रकबा 0.2752 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 03 के खेत खसरा नम्बर 820/482 रकबा 0.3237 हैक्टेयर [illegible] आई हुई है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत खसरान मूल खसरा नम्बर 482 के ही भाग थे। किन्तू मूल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.26 21:23:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

से पक्षकारान के खसरान वक्त सैकरीकेशन (नक्शा ऑनलाईन करते समय) अंकित किये गये हैं, उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार नक्शे नही बनाये गये हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खसरान् की भुमि मौके कब्जे व नक्शे में भिन्नता है। मौके कब्जे अनुसार तरमीम नही कर ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में सेग्रीगेशन करते समय की तरमीम करते समय जहां मौका कब्जा है वहां से भिन्न स्थान पर कर दी गई। लेकिन ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करते समय रकबे अनुसार व कब्जे अनुसार न करके अलग कर दी गई । अत : तरमीम दुरस्ती (शुद्धिकरण) हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार, गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ब तथा वर्तमान कब्जा अनुसार तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया कि वर्तमान में ग्राम गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा में स्थित मूल खसरा नम्बर 482 में से विभाजित खसरों के खातेदारों के रुबरु रेकर्ड, नक्शा एवं मौके की जांच की गई। जिसमें पाया कि खसरा नम्बर 482 के बीच में चल रही मौके पर डामर सड़क कानोड़ से बायतु खसरा नम्बर 764/482 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म गै. मु. सड़क की तत्कालिन समय में की गई तरमीम में 0.3723 हैक्टेयर भूमि में लिपिकीय भूल से अशुद्धि हो गई, जिस कारण खसरा नम्बर 769/482, 823/482, 820/482, 819/482 रकबा कमशः 0.2752, 0.1781, 0.3237, 0.5666 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम का रेकर्ड अनुसार कुल योग 1.3436 हैक्टेयर बनाता है। जबकी मौके पर 0.9713 हेक्टेयर भुमि मौजूद है। डामर सड़क के विपरीत मूल खसरा नम्बर 482 से विभक्त सम्पूर्ण खसरों का रेकर्ड अनुसार कुल भुमि का योग 4.3624 हैक्टेयर बनता है। जबकी मौके पर 4.7347 हैक्टेयर भुमि मौजूद है। अतः डामर सड़क के दोनों ओर मूल खसरा नम्बर 482 की भुमि का मौका अनुसार योग करने से रेकर्ड व मौके पर मौजूद भूमि बराबर होती है। इसलिए खसरा नम्बर 769/482 रकबा 0.2752, खसरा नम्बर 819/482 रकबा 0.5666 की भुमिको रेकर्ड तथा कब्जे अनुसार यथास्थिति रखते हुए खसरा नम्बर 833/482 रकबा 0.1781 में से 0.0647 हैक्टेयर भुमि को तरमीम अनुसार रखते हुए शेष भूमि रकबा 0.1134 हैक्टेयर को डामर सड़क से पूर्व दिशा में अन्य मूल खसरा संख्या 482 से विभाजित खसरों के साथ तरमीम शुद्धि द्वारा जमाबंदी में दो टुकडों में विभाजित करते हुए शेष समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा खसरा नम्बर 820/482 रकबा 0.3237 हैक्टेयर में से 0.0648 हैक्टेयर भूमि को डामर सड़क के विपरित पूर्व दिशा में परिशिष्ठ–ब अनुसार जमाबंदी में संसोधन किया जाकर तरमीम संसोधन किया जा सकता है। तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थीगण व अन्य खातेदारों की आपसी रजामंदी से रेकर्ड शुद्धि एवं तरमीम दुरुस्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रभावित होने वाले समस्त खसरों में ख्सरा नम्बर 819/482 खातेदार प्राथमिक ... समाज संस्थान कानोड़ का मौके पर निर्माण किया हुआ है। शेष खसरे मौके पर खाली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.26 21:23:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

प्रस्तावित संसोधन जमाबन्दी खाता संख्या 04, 36

खाता संख्या	नाम ग्राम	खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
36	गोदारों की ढाणी	दुर्गाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	833/482	0.0647	बा.दो.	0.03
			833/422	0.1134	बा.दो.	0.04
			02	**0.1781**	—	**0.07**
04	गोदारों की ढाणी	उदाराम पुत्र ज्वाराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	820/482	0.0648	बा.दो.	0.02
			820/482	0.2589	बा.दो.	0.10
			02	**0.3237**	—	**0.12**

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 819/782 रकबा 0.5666 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 01 से 04 खेत खसरा नम्बर 769/482, 823/482, 820/482, 819/482 रकबा क्रमशः 0.2752, 0.1781, 0.3237, 0.5666 हैक्टेयर की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब व वर्तमान कब्जे के अनुसार तरमीम शुद्व करने व जमाबंदी खाता संख्या 04 व 36 के रेकर्ड का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीम दुरस्त करें।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.26 21:23:14 IST
Reason: SelfAttested

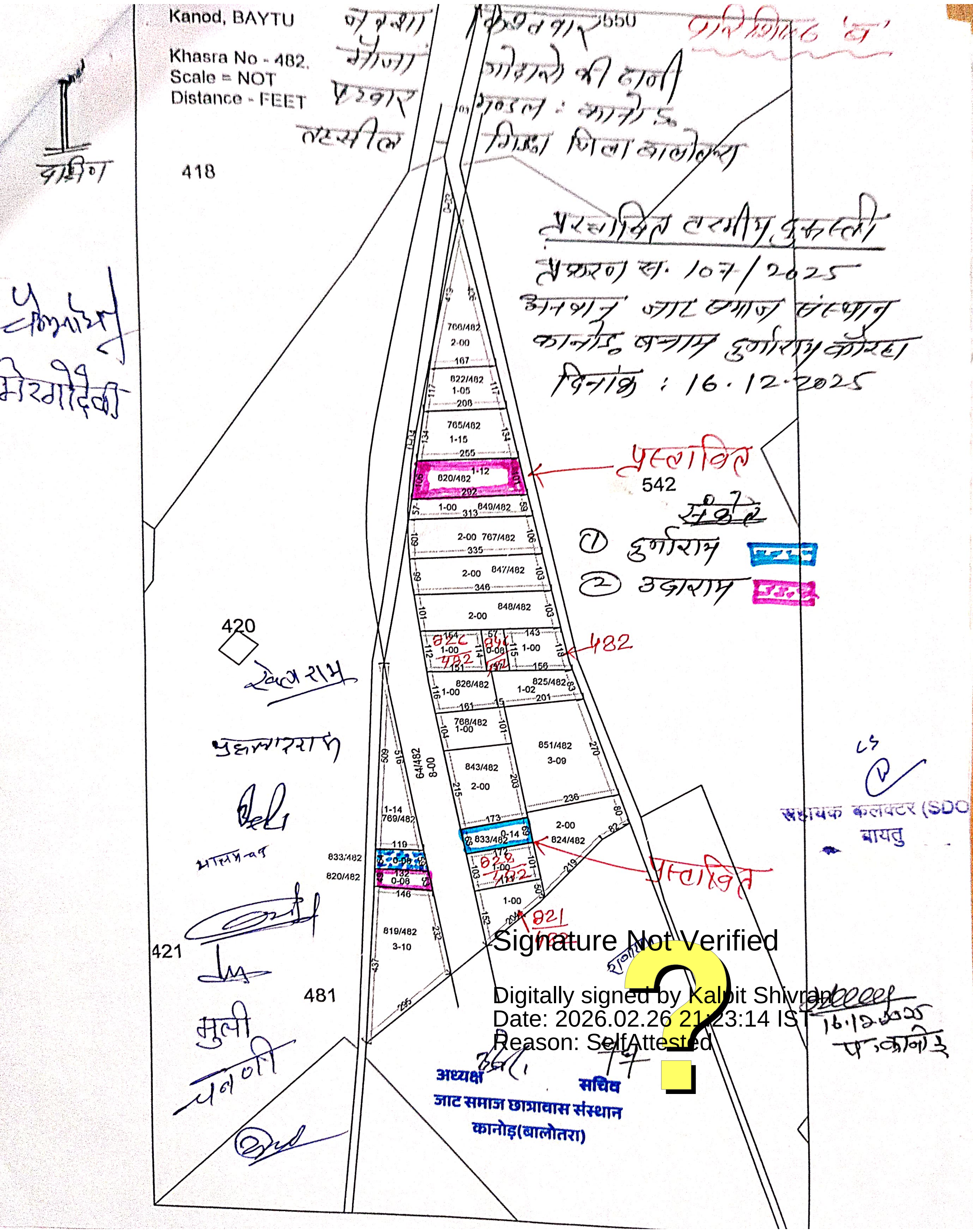

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.26 21:23:14 IST
Reason: SelfAttested